संख्या-5/1160 /22-4-14-48(2)/10टीसी-1

प्रेषक,

आर0 के0 द्विवेदी
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक-12 सितम्बर,2014

विषय- जिला कारागार, सुलतानपुर में निर्माणाधीन टाइप-2 के 16 नग आवासों के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 24944/नम-3/112, दिनांक- 04 सितम्बर , 2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1568/22-4-2014-48(2)/10टीसी-1, दिनांक 21 फरवरी, 2013 द्वारा जिला कारागार, सुलतानपुर में निर्माणाधीन टाइप-2 के 16 नग आवासों के निर्माण हेतु रू0 1,14,54,000/-(रूपया एक करोड चौदह लाख चौवन हजार मात्र) के आगण्न पर प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए अनुमोदित लागत के सापेक्ष कतिपय शर्तों के अधीन वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रथम किश्त के रूप में कुल रू0 45,76,000/-(रूपया पैंतालिस लाख छिहत्तर हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। आपके उक्त पत्र दिनांक 04-09-14 में किये गये प्रस्ताव के द्रष्टिगत श्री राज्यपाल वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में उक्त निर्माण कार्य हेतु अवशेष द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 68,78,000/-(रूपया अडसठ लाख अठहत्तर हजार मात्र) की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

2- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष "4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-10- सरकारी रिहायशी भवन-700-अन्य आवास-03-कारागार स्टाफ के लिए आवासों का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/ मद में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा।

3- कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य संपरीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिए जाय।

4- उक्त शासनादेश दिनांक 21 फरवरी, 2013 की शर्ते यथावत लागू रहेंगी।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक-22-07-14 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

संख्या-5/1160(1)/22-4-14-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) प्रबंध निदेशक,, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
(3) जिलाधिकारी, सुलतानपुर।
(4) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(7) गार्ड फाईल।

आज्ञां से,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in